क्रम-संख्या–24

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बुधवार, 14 जनवरी, 2026

पौष 24, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

————————

संख्या 05 / 79-वि-1–2026-2-क-1-2026

लखनऊ, 14 जनवरी, 2026

————————

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2026) जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है, जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2026)

[भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 कहा जायेगा।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–10, सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 में, उपधारा (1–क) में, खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

''(त) एक विश्वविद्यालय जिसे स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर के रूप में जाना जायेगा;''

धारा 50 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1–ठ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः–

''(1–ड) जब तक कि इस धारा के अधीन स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की परिनियमावली जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।''

धारा 52 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 52 में उपधारा (2–ट) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

''(2–ठ) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर का प्रथम अध्यादेश न बना लिया जाय, तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली का अध्यादेश, जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त था, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगा जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।''

5– मूल अधिनियम की अनुसूची में–

(क) क्रम संख्या–7 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''7– महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

(एक) स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की स्थापना होने तक	बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहांपुर जिले
(दो) स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की स्थापना हो जाने पर	बरेली, बदायूँ, पीलीभीत जिले''

(ख) क्रम संख्या 21 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

''22–स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर	शाहजहांपुर जिला''

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

6–(1) राज्य सरकार स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की स्थापना से सम्बंधित किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती कि मूल अधिनियम के उपबंध ऐसी कालावधि में, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन चाहे वे उपांतरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगेः

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों के पश्चात् नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

———

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

———

No. 05(2)/LXXIX-V-1–2026-2-ka-1-2026
Dated Lucknow, January 14, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalay (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2026 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 2 of 2026) promulgated by the Governor. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 2026

(U.P. ORDINANCE NO. 2 OF 2026)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy-sixth Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :–

Short title and commencement

1.(1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Ordinance, 2026.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official *Gazette.*

Amendment of Section 4 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

2. In Section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1-A), *after* clause (o), the following clauses shall be *inserted,* namely:–

"(p) a University to be known as Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur;".

Amendment of Section 50

3. In Section 50 of the principal Act, *after* sub-section (1-L), the following sub-section shall be *inserted,* namely :–

"(1-M) Until the First Statutes of Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur are made under this Section, the Statutes of Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide;".

Amendment of Section 52

4. In Section 52 of the principal Act, *after* sub-section (2-K), the following sub-section shall be *inserted,* namely :–

"(2-L) Until the First Ordinances of Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur are made under sub-section (2), the Ordinances of Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.".

Amendment of Schedule

5. In the Schedule to the principal Act,–

(a) *for* the entries appearing at serial no. 7, the following entries shall be *substituted,* namely :–

"7 . Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly –

(i) Until the establishment of Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur.	Districts of Bareilly, Budaun, Pilibhit, Shahjahanpur.
(ii) Upon the establishment of Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur.	Districts of Bareilly, Budaun, Pilibhit.".

(b) *after* serial no. 21, the following serial number and entries relating thereto shall column-wise be *inserted,* namely:–

"22. Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur.	Shahjahanpur District.".

Power to remove difficulties

6. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to the establishment of Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur, by order published in the *Gazette,* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature , as soon as may be, after it is made.

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

———

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 344 राजपत्र–2026–(1030)–599 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 149 सा0 विधायी–2026–(1031)–300 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।